

कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर (छ.ग.)

कमांक/658/वाचक/2017

सूरजपुर, दिनांक 27 /12/2017.

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब, छ.ग.वि.पा.कं.मर्या. कोरबा द्वारा अपने पत्र कमांक कार्य/निर्माण/संभाग/कार्य/469 दिनांक 11/07/2017 के माध्यम से ग्राम सतपता से ग्राम कौशलपुर तक प्रस्तावित 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण अन्तर्गत आने वाली भूमियों के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र एवं प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी रा. सूरजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूची-1 में अंकित, प्रभावित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है-

:: अनुसूची-1 ::

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील/ उप तहसील	प्रभावित खसरा नं. (वन भूमि/ शास. मद का)	कुल रकबा	आवेदित रकबा हे.में	भूमि प्रकार	FRA के तहत जारी वन अधिकार मान्यता पत्र
1	सलका	पिलखा	294	0.59	0.063	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1385	4.90	0.652	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1387	0.63	0.007	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1406	10.98	0.127	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1408	0.37	0.142	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1417	0.10	0.014	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1419	0.06	0.048	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1423	0.01	0.052	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1430	0.08	0.019	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
	सलका	पिलखा	1878	0.15	0.052	छोटे बड़े झाड़ का जंगल	-
2	पोंड़ी	सूरजपुर	43	0.670	0.046	छोटे झाड़ का जंगल	-
	पोंड़ी	सूरजपुर	50	1.350	0.369	छोटे झाड़ का जंगल	-
	पोंड़ी	सूरजपुर	57	1.230	0.045	छोटे झाड़ का जंगल	-
	पोंड़ी	सूरजपुर	250	1.330	0.285	छोटे झाड़ का जंगल	-
	पोंड़ी	सूरजपुर	674	1.190	0.082	छोटे झाड़ का जंगल	-
3	जोबगा	सूरजपुर	18	1.520	0.183	छोटे झाड़ का जंगल	-
	जोबगा	सूरजपुर	19/1	0.650	0.073	छोटे झाड़ का जंगल	-
	जोबगा	सूरजपुर	31	0.730	0.146	छोटे झाड़ का जंगल	-
	जोबगा	सूरजपुर	38	0.360	0.019	छोटे झाड़ का जंगल	-
4	केतका	सूरजपुर	83	1.20	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	-
	केतका	सूरजपुर	564	0.12	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	-
	केतका	सूरजपुर	754	0.07	0.009	छोटे झाड़ का जंगल	-
	केतका	सूरजपुर	846	0.16	0.060	छोटे झाड़ का जंगल	-
	केतका	सूरजपुर	1624	0.50	0.073	छोटे झाड़ का जंगल	-
	केतका	सूरजपुर	1625	0.83	0.172	छोटे झाड़ का जंगल	-
5	आमगाँव	रामानुजनगर	736	0.210	0.087	छोटे झाड़ का जंगल	-
6	पटना	रामानुजनगर	16	0.50	0.006	छोटे झाड़ का जंगल	-
7	चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	54	0.330	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	-

चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	64	0.460	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	—	
चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	83	0.470	0.179	छोटे झाड़ का जंगल	—	
चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	84	0.530	0.000	छोटे झाड़ का जंगल	1) मोती आ. सपूरन गोंड-0.15 हे. 2) साधारण आ. सपूरन गोंड -0.32 हे. (दोनों पट्टाधारियों की 0.041, 0.041 हे. प्रभावित)	
चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	158	0.320	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	—	
चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	161	1.700	0.099	छोटे झाड़ का जंगल	—	
चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	180	2.990	0.579	छोटे झाड़ का जंगल	—	
चंद्रिकापुर	रामानुजनगर	184	0.080	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	—	
8	रामपुर	रामानुजनगर	536	0.400	0.105	छोटे झाड़ का जंगल	—
9	दवना	रामानुजनगर	1091	0.89	0.023	छोटे झाड़ का जंगल	—
	दवना	रामानुजनगर	1083	0.92	0.129	छोटे झाड़ का जंगल	—
	दवना	रामानुजनगर	1127/1	1.19	0.062	छोटे झाड़ का जंगल	—
	दवना	रामानुजनगर	936	0.06	0.027	छोटे झाड़ का जंगल	—
10	सरईपारा	रामानुजनगर	356	0.02	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	—
	सरईपारा	रामानुजनगर	103	0.55	0.116	छोटे झाड़ का जंगल	—
11	रामानुजनगर	रामानुजनगर	1056	0.160	0.050	छोटे झाड़ का जंगल	—
	योग		43	41.56	4.253	छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ का जंगल	

अनुविभागीय अधिकारी रा. सूरजपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में उपरोक्त भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किये जाने से कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी रा. सूरजपुर के प्रतिवेदन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम-चंद्रिकापुर राजस्व वनभूमि खसरा नंबर 84 रकबा 0.53 हे. में से रकबा मोती आ. सपूरन जाति गोंड 0.15 हे. एवं साधारण आ. सपूरन जाति गोंड के पक्ष में रकबा 0.32 हे. का वन अधिकार पत्र दिया गया है।

अतः अनुसूची-1 में अंकित कालम नंबर 4 के खसरा एवं कालम नंबर 5 में अंकित रकबा में से कालम नंबर 6 में अंकित रकबा, कुल रकबा 4.253 हे. भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने हेतु व्यपवर्तन की अनुमति यदि सक्षम विभाग/संबंधितों द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक 27/12/2017

पृष्ठांकन क्रमांक/ 6587 /वाचक/2017
प्रतिलिपि,

1. मुख्य वन संरक्षक, भू प्रबंध, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग. अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर की ओर से सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन अभियंता, अउदा, नि/सं, छ.ग.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा को सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर